[2021] 6 एस. सी. आर 723

लक्ष्मण सिंह

बनाम्

बिहार राज्य (अब झारखंड) (2021 की आपराधिक अपील संख्या 606)

23 जुलाई, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

एम. आर. शाह, न्यायाधीशगण]

दंड संहिता, 1860:धाराएँ 327 और 147-अभियोजन का मामला यह था कि आम चुनाव के दिन पीडब्लू-8 पूलिंग बूथ से 200 गज की दूरी पर मतदाताओं को पर्ची जारी कर रहा था-दूसरे ग्राम के आरोपी व्यक्ति लाठियों, डंडों और देसी पिस्तौल से लैस होकर वहां आए और पीडब्लू-8 से कहा कि वह मतदाता पर्ची जारी करना बंद कर दे और मतदाता सूची सौंपने और पीडब्लू-8 द्वारा मना करने पर उसे हाथों, मुट्ठी, लाठियों और डंडों से पीटना शुरू कर दिया-जब पीडब्लू-10, पीडब्लू-8 का भाई उसे बचाने आया, तो आरोपी-'डी' ने पीडब्लू-10 पर गोली चलाई, जिससे उसे गोली लगी-आरोपी-'ए' ने पीडब्लू-12 पर गोली चलाई-इसके बाद ग्रामीण वहां पहुंचे और आरोपी व्यक्ति मौके से भाग गए-धाराएँ 327 एवं 147 के तहत आरोपी को दोषी ठहराया। दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील-आयोजितःपीडब्लू-5, पीडब्लू-8, पीडब्लू-10 और पीडब्लू-12 घायल चश्मदीद गवाह थे-उनकी चोटें स्थापित की गईं और डॉक्टर के साक्ष्य से साबित हुईं जिन्होंने उनकी जांच की-सभी गवाहों ने अभियोजन के मामले का पूरी तरह से समर्थन किया-यहां तक कि कुछ अभियुक्तों को भी चोटें आईं और वे अपनी चोटों को धारा 313 बयान में समझाने में विफल रहे।घटना स्थल पर स्वतंत्रत गवाहों और घायल चश्मदीद गवाहों की उपस्थिति स्वाभाविक थी-सभी गवाह अपने बयानों में सुसंगत थे और अभियोजन के मामले का पूरी तरह से समर्थन करते थे-दोषसिद्धि के क्रम में कोई त्रुटियां नहीं-हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।

दंड संहिता, 1860:धारा 323-जख्म प्रतिवेदन-अभियोजन मामले पर प्रभाव की अनुपस्थिति-अभिनिर्धारित कियाःधारा 323 के तहत अपराध के लिए चोट रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण धारा 323 केतहत अपराध के लिए मामला स्थापित करने के लिए एक अनिवार्य शर्त नहीं है-धारा 323 स्वेच्छा से चोट पहुँचाने के लिए एक दंडनीय धारा है- यहाँ तक कि शारीरिक दर्द को भी 'चोट पहुँचाना' कहा जा सकता है।

दंड संहिता, 1860:धारा 147-घटना के समय सभी अभियुक्त व्यक्तियों की उपस्थिति स्थापित की गई थी और अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा साबित की गई थी-उन्होंने सामान्य उद्देश्य के निष्पादन में गैरकानूनी सभा का गठन किया अर्थात् मतदाता सूची छीनना और फर्जी मतदान करना-अपीलार्थियों को धारा 147 के तहत सही तरीके से दोषी ठहराया गया था।

सजा/सजा-बूथ कैप्चरिंग और फर्जी मतदान - चुनाव प्रणाली का सार यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि मतदाताओं को अपनी स्वतंत्र पसंद का प्रयोग करने की स्वतंत्रता हो-इसलिए, मतदान केन्द्र कब्जा और/या नकली मतदान के किसी भी प्रयास को सख्ती से निपटा जाना चाहिए क्योंकि यह अंततः कानून के शासन और लोकतंत्र को प्रभावित करता है-किसी को भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के अधिकार को कमजोर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है-हालांकि, इस वर्तमान मामले में राज्य ने केवल छह महीने के साधारण कारावास के सजा के आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं करने के खिलाफ कोई अपील पसंद नहीं की, सजा के आदेश के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं किया।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने अभिनिर्धारित किया-

1. तत्काल मामले में, अभियुक्त को दोषी ठहराते समय, निचली अदालत ने पीडब्लू1, पीडब्लू3 और पीडब्लू4, जो स्वतंत्रता गवाह थे और पीडब्लू5, पीडब्लू8 और पीडब्लू10, जो घायल गवाह थे, के बयान पर बहुत अधिक भरोसा किया।स्वतंत्रत गवाहों और यहाँ तक कि घायल गवाहों की घटना का स्थान उपस्थिति घटना स्थल पर स्वाभाविक था । पीडब्लू1, पीडब्लू3 और पीडब्लू4, जो सभी ग्राम के निवासी थे और वे वहाँ मतदान डालने करने आए थे और घटना के साक्षी बने।सभी गवाहों, पीडब्लू1, पीडब्लू3 और पीडब्लू4 ने सभी अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान की और अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन

किया।पीडब्लू 5, पीडब्लू 10 और पीडब्लू 12 पर चोटों को स्थापित किया गया और अभियोजन पक्ष द्वारा डॉक्टर (पीडब्लू 7) के साक्ष्य द्वारा साबित किया गया, जिन्होंने घायल गवाहों की जांच की। उनकी चोट की रिपोर्ट रिकॉर्ड में रखी गई थी। सभी अभियुक्त व्यक्तियों को प्राथमिकी दर्ज करने की शुरुआत से ही नामित किया गया था और सभी अभियुक्त व्यक्तियों को विशेष रूप से सभी गवाहों द्वारा नामित किया गया था और/या अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन किया गया था।यहां तक कि कुछ अभियुक्तों को भी चोटें आई हैं और वे अपने 313 बयानों में अपनी चोटों की व्याख्या करने में विफल रहे हैं।इस प्रकार, घटना के समय और स्थान पर उनकी उपस्थिति स्थापित हुई और अन्यथा भी साबित हुई। पी. डब्ल्यू. 5, पी. डब्ल्यू. 8 और पी. डब्ल्यू. 10 घायल गवाह थे।उनसे पूरी तरह से जिरह के बाद भी, उन्होंने अभियुक्त की ओर से पूरी तरह से जिरह के बाद भी अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन किया। पीडब्लू1, पीडब्लू3 और पीडब्लू4 की साख और/या विश्वसनीयता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है और विशेष रूप से पीडब्लू5, पीडब्लू8 और पीडब्लू10, जो घायल गवाह हैं। सभी गवाह अपने बयानों में सुसंगत हैं और उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन किया है। इन परिस्थितियों में, निचली अदालतों ने पीडब्लू1, पीडब्लू3, पीडब्लू4, पीडब्लू5, पीडब्लू8 और पीडब्लू10 के बयानों पर भरोसा करते हुए आरोपी को दोषी ठहराने में कोई त्रुटियां नहीं की है।[पैरा 5,7] [736-ई-जी; 737-बी-डी; 738-सी]

रामविलास बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2016) 16 एससीसी 316: [2015] 9 एससीआर 205-पर निर्भर था।

2. पीडब्लू8 ने अपनी जाँच-इन-चीफ/बयान में विशेष रूप से कहा कि उन्हें चोट लगने के बाद सरकारी अस्पताल में उपचार प्रदान किया गया था।उन्होंने आगे अभियुक्त-डी को छोड़कर सभी अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से जिरह में कहा कि उन्हें लाठी के 2-3 वार हुए।उन्होंने यह भी कहा कि ठीक से याद नहीं है कि उसे कितने प्रहार झेलने पड़े।उनके अनुसार, वह पहले पुलिस स्टेशन के एस. एच. ओ. के साथ पुलिस स्टेशन गया जहां उसका बयान दर्ज किया गया और उसके बाद एस. एच. ओ. ने उसे इलाज के लिए पाटन अस्पताल भेज दिया।इस प्रकार, उन पर आरोपी व्यक्तियों द्वारा लाठियों/डंडों से हमला किया गया और उन्हें चोटें आईं और उनका सरकारी अस्पताल, पाटन में इलाज किया गया जो स्थापित एवं

साबित किया गया। यह हो सकता है कि कोई गंभीर चोट और/या दिखाई देने वाली चोटें न हों, हो सकता है कि अस्पताल ने चोट की रिपोर्ट जारी न की हो। हालाँकि, आई. पी. सी. की धारा 323 के तहत अपराध के लिए चोट की रिपोर्ट पेश करना आई. पी. सी. की धारा 323 के तहत अपराध के लिए मामला स्थापित करने के लिए अनिवार्य नहीं है। आई. पी. सी. की धारा 323 स्वेच्छा से चोट पहुँचाने के लिए एक दंडनीय धारा है।भारतीय दंड संहिता की धारा 319 के तहत "चोट" परिभाषित है । भारतीय दंड संहिता की धारा 319 के अनुसार, जो कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को शारीरिक दर्द, बीमारी या दुर्बलता का कारण बनता है, उसे 'उपहति कारित' कहा जाता है।इसलिए, शारीरिक दर्द पैदा करने को भी "चोट" का कारण कहा जा सकता है।इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, आई. पी. सी. की धारा 323 के तहत आरोपी को दोषी ठहराने के लिए निचली अदालतों द्वारा कोई त्रुटियां नहीं की गई है। [पैरा 8] [738-डी-एच; 739-ए

3. अब जहाँ तक आई. पी. सी. की धारा 147 के तहत अभियुक्तों की दोषसिद्धि का संबंध है, घटना के समय सभी अभियुक्त व्यक्तियों की उपस्थिति और उनकी सक्रिय भागीदारी स्थापित की गई है और अभियोजन पक्ष द्वारा उपरोक्त गवाहों, जो स्वतंत्रत गवाह हैं और घायल गवाह भी हैं से, भी पूछताछ करके साबित किया गया है।आरोपी दूसरे ग्राम के रहने वाले हैं।उन्होंने आम उद्देश्य के अभियोजन में एक गैरकानूनी सभा का गठन किया, अर्थात, "मतदाता सूची छीनने और फर्जी मतदान करने के लिए"।यह स्थापित और साबित किया गया है कि उन्होंने बल का इस्तेमाल किया और इस घटना में पीडब्लू5, पीडब्लू8, पीडब्लू10 और पीडब्लू12 को चोटें आईं।सभी अभियुक्त व्यक्तियों-अपीलार्थियों के पास लाठियाँ थीं।भारतीय दंड संहिता की धारा 147 दंगा करने के लिए दंडनीय धारा है।आई. पी. सी. की धारा 349 के तहत "बल" को परिभाषित किया गया है। आई. पी. सी. की धारा 349 के अनुसार, "बल" का अर्थ है "एक व्यक्ति को दूसरे के लिए बल का उपयोग करने के लिए कहा जाता है यदि वह दूसरे के लिए गति, गति परिवर्तन या गति की समाप्ति का कारण बनता है।" [कंडिका 9, 9.1] [739-ए-जी]

4.1 सभी अभियुक्त व्यक्ति गैरकानूनी सभा के सदस्य थे और आम इरादा "मतदाताओं की पर्ची छीनना और फर्जी मतदान करना" था।उन्होंने बल एवं हिंसा का भी का प्रयोग किया। अभियुक्त की ओर से यह मामला है कि आई. पी. सी. की धारा 147 के तहत दंगों

के अपराध के लिए उनकी कोई विशिष्ट भूमिका नहीं है। हालांकि, जहां बड़ी संख्या में हमलावर है। गवाहों के लिए प्रत्येक हमलावर की पहचान करना और उसके लिए विशिष्ट भूमिका का श्रेय देना मुश्किल हो सकता है।वर्तमान मामले में, घटना भी कुछ ही मिनटों में समाप्त हो गई और इसलिए यह स्वाभाविक है कि घटना का सटीक संस्करण प्रत्येक मिनट के विवरण का खुलासा करता है, यानी, व्यक्तिगत कृत्यों की सावधानीपूर्वक सटीकता चश्मदीद गवाहों द्वारा नहीं दी जा सकती है।अन्यथा भी, गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य दंगे के अपराध का दोषी है, भले ही यह हो सकता है कि उन्होंने खुद बल या हिंसा का इस्तेमाल न किया हो। [पैरा 9.1] [739-एच; 740-ए-सी]

> अब्दुल सईद बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2010) 10 एस. सी. सी. 259:[2010] 13 एससीआर 311; महादेव शर्मा बनाम बिहार राज्य [1966] 1 एससीआर 18:ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 302-पर निर्भर किया गया।

4.2 इस प्रकार, एक बार जब आम उद्देश्य के अभियोजन में गैरकानूनी सभा स्थापित हो जाती है, यानी, वर्तमान मामले में, "मतदाता सूची छीनने और फर्जी मतदान करने के लिए", गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य दंगे के अपराध का दोषी है। बल का उपयोग, भले ही यह सभा के किसी एक सदस्य द्वारा थोड़ा भी संभव चरित्र हो, एक बार गैरकानूनी के रूप में स्थापित किया गया तो दंगे का गठन करता है। यह आवश्यक नहीं है कि बल या हिंसा अनिवार्य रूप से सबों के द्वारा हो, लेकिन गैरकानूनी सभा के सभी सदस्यों को दायित्व प्राप्त होता है। कुछ लोग शब्दों से प्रोत्साहित कर सकते हैं, अन्य संकेतों से जबकि अन्य वास्तव में चोट पहुँचा सकते हैं और फिर भी गैरकानूनी सभा को सभी सदस्य दंगों के लिए समान रूप से दोषी होगी।तत्काल मामले में, सभी अभियुक्तों को आम उद्देश्य के अभियोजन में गैरकानूनी सभा के सदस्य पाए जाते हैं, अर्थात, "मतदाता सूची छीनने और फर्जी मतदान करने के लिए" और पी. डब्ल्यू. 5, पी. डब्ल्यू. 8, पी. डब्ल्यू. 10 और पी. डब्ल्यू. 12 को गैरकानूनी सभा के सदस्यों के कारण चोटें आईं, अपीलकर्ता-अभियुक्तों को दंगा करने के अपराध के लिए आई. पी. सी. की धारा 147 के तहत सही रूप से दोषी ठहराया जाता है। [पैरा 9.1] [740-ई-एच]

5. हालांकि तत्काल मामले में, यह स्थापित और साबित किया गया कि सभी आरोपी "मतदाता सूची छीनने और फर्जी मतदान करने" के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में गैरकानूनी सभा के सदस्य थे और उन्हें आई. पी. सी. की धारा 147 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था, निचली अदालत ने केवल छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी।पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के मामले में, इस न्यायालय द्वारा यह कहा गया था कि मतदान की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक हिस्सा है।यह भी देखा गया कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान करने की गोपनीयता आवश्यक है। निर्वाचन प्रणाली का सार मतदाताओं को अपनी पसंद का प्रयोग करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना होना चाहिए।इसलिए, बूथ कैप्चरिंग और/या फर्जी मतदान के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाना चाहिए क्योंकि यह अंततः कानून और लोकतंत्र के शासन को प्रभावित करता है।स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के अधिकार को कमजोर करने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती है।हालाँकि, चूंकि राज्य ने केवल छह महीने के साधारण कारावास के खिलाफ कोई अपील नहीं की है, इसलिए हम मामले को वहीं छोड़ देते हैं।[पैरा 10] [741-बी-एफ]

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ (2013) 10 एस. सी. सी. 1:[2013] 12 एससीआर 283-पर निर्भर था।

कुटुंबक कृष्ण मोहन राव बनाम लोक अभियोजक, ए. पी. पुरक का उच्च न्यायालय 1991 पुरक 2 एससीसी 509; इंदर सिंह बनाम राजस्थान राज्य (2015) 2 एससीसी 734:[2015] 1 एस. सी. आर. 563; मध्य प्रदेश राज्य बनाम मानसिंह (2003) 10 एस. सी. सी. 414: [2003] 2 पूरक।एससीआर 460; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नरेश (2011) 4 एससीसी 324:[2011] 4 एससीआर 1176;कलाभाई हमीरभाई कच्छोट बनाम गुजरात राज्य (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 347-संदर्भित।

कानून विधि संदर्भ

[1991] पूरक 2 एस. सी. सी. 509 संदर्भित किया गया है कडिका 3.10

[2015] 1 एससीआर 563	संदर्भित किया गया है	कंडिका 3.10
[1966] 1 एससीआर 18	उस पर भरोसा करें	कंडिका 4.3
[2003] 2 पूरक एससीआर 460	संदर्भित किया गया है	कंडिका 4.5
[2010] 13 एससीआर 311	उस पर भरोसा करें	कंडिका 4.5
[2015] 9 एस. सी. आर. 205	उस पर भरोसा करें	कंडिका 4.5
[2011] 4 एससीआर 1176	संदर्भित किया गया है	कंडिका 4.5
[2013] 12 एससीआर 283	उस पर भरोसा करें	कंडिका 4.8

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 606/2021

1999 (आर) की अपराधिक अपील (एकल न्यायाधीश) सं. 232 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के दिनांक 31.10.2018 के निर्णय और आदेश से।

साथ

आपराधिक अपील संख्या 630-631/2021

मनोज स्वरूप, वरिष्ठ अधिवक्ता, धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, राजीव कुमार झा, ओंकार प्रसाद अधिवक्ता अपीलकर्ता के लिए

अरुणाभ चौधरी, ए. ए. जी., सुश्री पल्लवी लंगर, तपेश कुमार सिंह, आदित्य प्रताप सिंह, सुश्री भास्वती सिंह, अधिवक्ता प्रतिवादी के लिए

न्यायालय का निर्णय एम. आर. शाह, न्यायमूर्ति

निर्णय

1. झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक 31.10.2018 को आपराधिक अपील संख्या 232/1999 और 242/1999 में पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त अपीलों को

खारिज कर दिया है और अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 147 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराने वाले विद्वान निचली अदालत द्वारा दिए गए निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश और दंड की पुष्टि की है और उन्हें दोनों धाराओं के तहत छह महीने का साधारण कारावास भुगतने के लिए दंडादेश दिया है, से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए मूल अभियुक्त संख्या 9, 8, 12, 11, 10, 14, 2 और 13-लक्ष्मण सिंह, शिव कुमार सिंह, उपेंद्र सिंह, विजय सिंह, संजय प्रसाद सिंह, राजमणि सिंह, अयोध्या प्रसाद सिंह और रामाधर सिंह ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

2. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, प्रथम सूचना देने वाले राजीव रंजन तिवारी द्वारा 26.11.1989 को पाटन पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया था कि आम चुनाव की पूर्व संध्या पर, वह पाटन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गोलहाना बूथ संख्या 132 में भारतीय ग्राम पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था और मतदान केंद्र से 200 गज उत्तर की ओर मतदाताओं को पर्चियां जारी कर रहा था। उस समय 10:40 बजे नौडीहा ग्राम के आरोपी लाठियों, लाठियों, देश में बनी पिस्तौलों के साथ आए और उनसे कहा कि वे मतदाता पर्ची जारी करना बंद कर दें और अपने पास मौजूद मतदाता सूची उन्हें सौंप दें और उसके इनकार करने पर, अभियुक्तगण उसे (पी. डब्ल्यू. 8-राजीव रंजन तिवारी) को हाथ, मुक्के, लाठियाँ और दंडो से मारने लगे। पहले मुखबिर-पीडब्लू 8 के भाई, प्रिया रंजन तिवारी (पीडब्लू 10) को घटना के बारे में पता चलने पर उसे बचाने के लिए आए और उस समय आरोपी दीनानाथ सिंह उर्फ दीना सिंह ने अपने देश में बनी पिस्तौल से पीडब्लू 10 पर बंदूक की गोली चलाई, जिसके कारण वह गोली से जख्मी हुआ। आरोपी अजय सिंह ने दिनेश तिवारी (पीडब्ल्यू12) पर गोली चलाई, जिससे वह घायल हो गया। आगे यह आरोप लगाया गया कि हाथापाई के कारण, आरोपी हीरा सिंह ने पीडब्लू 8 और पीडब्लू 10 की कलाई की घड़ियां छीन लीं। पीडब्लू 8-राजीव रंजन तिवारी के बयान के आधार पर, जो 12 पर दर्ज किया गया था। दिनांक 26.11.1989 को अपराह्न 2.30 बजे एक प्राथमिकी दर्ज की गई। भारतीय प्रसाद संहिता की धारा 147, 148, 149, 307, 326, 324, 323 और शास्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत अपराधों के लिए नामित 16 अभियुक्तों के खिलाफ उसी दिन यानी 26.11.1989 को अपराह्न 12.00 बजे अपराह्न में प्रथम इतिला

रिपोर्ट दर्ज की गयी। जांच पूरी होने के बाद जांच अधिकारी ने अपीलकर्ताओं सहित 15 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

2.1 विद्वत विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 307, 147, 149 और 379 के अधीन अपराधों के लिए अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप गठित किए। चूंकि मामला विशेष रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए यह मामला विद्वान सेशन न्यायालय को सौंपा गया, जिसे 1991 के सेशन ट्रायल नं. 36 के रूप में संख्यांकित किया गया था।

2.2 अभियुक्त के विरुद्ध मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने सभी 15 गवाहों से जिरह की, जिनमें प्रथम मुखबिर राजीव रंजन तिवारी, प्रथम मुखबिर के भाई प्रिया रंजन तिवारी (पी डब्ल्यू 10) और पी डब्ल्यू 5 दिलीप कुमार तिवारी शामिल थे, जो सभी घायल चश्मदीद गवाह थे। अभियोजन पक्ष ने डॉ. जवाहर लाल (पीडब्लू7) की भी जांच की, जिन्होंने उसी दिन सदर अस्पताल, डाल्टनगंज में पीडब्लू10, पीडब्लू12 और पीडब्लू5 की जांच की और उक्त व्यक्तियों पर चोट पाई। अभियोजन पक्ष ने जांच अधिकारी शिवनंदन महतो (पीडब्ल्यू13) से भी पूछताछ की। अभियोजन ने स्वतंत्र गवाहों अर्थात, पीडब्ल्यू1, पीडब्ल्यू3 और पीडब्ल्यू4 की भी जांच की। अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य बंद करने के बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत आरोपी व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए। उन्होंने आरोपों से इनकार किया। बचाव पक्ष ने आरोपी अयोध्या प्रसाद सिंह, रमा सिंह, शिव कुमार सिंह और लक्ष्मण सिंह की चोटों को साबित करने के लिए डीडब्ल्यू1 का भी परीक्षण किया और उनकी चोट की रिपोर्ट रिकॉर्ड पर लाई।

2.3 तत्पश्चात, पूर्ण विचारण की समाप्ति पर और अभिलेख पर पूरे साक्ष्य के मूल्यांकन पर और पीडब्लू 8, पीडब्लू 10 और पीडब्लू 5 के बयान पर भरोसा करने पर, जो सभी घायल चश्मदीद गवाह और अन्य प्रत्यक्षदर्शी थे। निचली अदालत ने अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 147 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया और उन्हें दोनों अपराधों के लिए छह महीने के साधारण कारावास का दंड दिया। विद्वत निचली अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा ३२६ और १४८ के तहत अपराधों के लिए भी अभियुक्त दीनानाथ सिंह को दोषी ठहराया और उसे क्रमशः सात साल और दो साल

की सजा सुनाई। विद्वत निचली अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा ३२४ और १४८ के तहत अपराधों के लिए अजय सिंह को भी दोषी ठहराया और उसे क्रमशः तीन साल और दो साल की सजा सुनाई।

2.4 अपीलकर्ताओं को दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, इसमें मूल अभियुक्त सं. 9, 8, 12, 11, 10, 14, 2 ने अन्य अभियुक्तों के साथ 1999 की आपराधिक अपील सं. 232 और अभियुक्त सं. 13 ने उच्च न्यायालय के समक्ष 1999 की आपराधिक अपील सं. 242 के रूप में अपील की। सामान्य आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उक्त अपीलों को खारिज कर दिया है और विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंड के निर्णय और आदेश की पुष्टि की है।

2.5 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल अभियुक्त सं. 9,8,12,11,10,14,2 और 13 ने वर्तमान अपीलों को प्रस्तुत किया है।

3. श्री मनोज स्वरूप, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता अपीलकर्ताओं-आरोपी की ओर से पेश हुए हैं और श्री अरुणाभ चौधरी, आपराधिक अपील संख्या 606/2021 में अतिरिक्त महाधिवक्ता और श्री तपेश कुमार सिंह, आपराधिक अपील संख्या 630-631/2021 में विद्वान अधिवक्ता झारखंड राज्य की ओर से उपस्थित हुए हैं।

3.1 अपीलार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता-अभियुक्त ने जोरदार रूप से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, विद्वान विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने भारतीय दंड संहिता की धारा ३२३, १४७ के तहत अपराधों के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराने में गंभीर त्रुटियां की है।

3.2 आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि नीचे के दोनों न्यायालयों ने पी डब्लू 8, पी डब्लू 10 और पी डब्लू 5 के अभिसाक्ष्य पर भरोसा करने में वस्तुतः गलती की है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पूर्वोक्त गवाह अविश्वसनीय और गैर-भरोसेमंद हैं। यह प्रस्तुत किया

जाता है कि वे स्वतंत्र गवाह नहीं हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह पीडब्लू 12-दिनेश तिवारी मुकर गया.यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपर्युक्त गवाह उसी ग्राम के हैं।

3.3 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि निचले दोनों न्यायालयों ने भी इस निष्कर्ष पर पहुंचने में वस्तुतः त्रुटियां की है कि अपीलार्थी विधिविरुद्ध जमाव का हिस्सा थे और इस प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के तहत अपराध के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराने में गंभीर त्रुटियां की है।

3.4 आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि उद्देश्य स्थापित और सिद्ध नहीं किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि सामान्य उद्देश्य जाली वोट डालने का आरोप लगाया गया था, जो कभी नहीं डाला गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि यहां तक कि मतदाता पर्ची भी अन्य सभी दलों के पास उपलब्ध थी और इसलिए अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार उद्देश्य संदिग्ध है।

3.5 आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश का संबंध है, संबंधित अपीलार्थियों-अभियुक्तों की व्यक्तिगत भूमिका और/या मामले के गुणागुण पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने केवल पृष्ठ २६, पैरा २३ पर वर्तमान अपीलार्थियों का उल्लेख किया है कि जहां तक अपीलार्थियों के आराम का संबंध है, उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा ३२३ और १४७ के तहत सही ठहराया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसमें अपीलार्थियों के साक्ष्य का कोई स्वतंत्रता मूल्यांकन नहीं है।

3.6 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि निचले दोनों न्यायालयों ने इस तथ्य की उचित रूप से सराहना नहीं की है कि मतदान केंद्र पर अभियुक्त की उपस्थिति प्राकृतिक थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि उपचुनाव के कारण, विभिन्न राजनीतिक दलों के अन्य व्यक्तियों के साथ आरोपी व्यक्ति मौजूद थे। यह प्रस्तुत किया गया है कि विभिन्न दलों के लोगों के लिए विभिन्न व्यक्तियों को बुलाना या अन्यथा बूथ पर उपस्थित होना स्वाभाविक था और यह स्वयं अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

3.7 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी, निचली अदालतों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराने में वस्तुतः गलती की है। यह प्रस्तुत किया गया है कि पीडब्ल्यू8 का कोई भी चोट प्रमाण पत्र रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष ने केवल तीन व्यक्तियों, अर्थात्, पीडब्लू १०-प्रिया रंजन तिवारी, पीडब्लू १२-दिनेश तिवारी और पीडब्लू ५-दिलीप तिवारी के चोट प्रमाण पत्र रिकॉर्ड पर लाए हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिनेश तिवारी-पीडब्लू 12 को हुई दो साधारण चोटों को छोड़कर सभी चोट बंदूक की गोली से लगी हैं.यह प्रस्तुत किया गया है कि पीडब्लू 12 प्रतिकूल हो गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, अपीलार्थियों पर आरोप है कि उन्होंने केवल पहले मुखबिर-पीडब्लू ८ के खिलाफ लाठियों और लाठियों का इस्तेमाल किया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष के मामले के समर्थन में किसी भी सत्यापन साक्ष्य/सामग्री के अभाव में कि अपीलार्थियों ने पी डब्लू ८ को पीटा है और उन्हें चोटें आई हैं, भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३२३ के तहत अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराने में निचली अदालतों ने वस्तुतः गलती की है।

3.8 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि प्रथम सूचना देने वाले-पी डब्लू 8 की ओर से किया गया आचरण भी उसकी विश्वसनीयता के बारे में संदेह पैदा करता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उसने विपरीत शिविर से संबंधित कई लोगों को शामिल किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि घटना के बाद वह ग्राम गया और पुलिस एसएचओ उसके घर आया और उसे सरकारी अस्पताल, पाटन ले गया और उसके बाद उसका फर्दब्यान (बयान) दर्ज किया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि न तो वह अपने घायल भाई के पास गया था और न ही वह कभी उसे अस्पताल में देखने गया था और न ही परिवार का कोई सदस्य अस्पताल में घायल को देखने गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसी परिस्थितियों में, पी डब्लू ८ एक विश्वसनीय और भरोसेमंद गवाह नहीं है और इसलिए नीचे की अदालतों को पी डब्लू ८ के बयान पर भरोसा नहीं करना चाहिए था।

3.9 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि लाठियों और डंडे की कोई बरामदगी नहीं हुई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सूचना देने वाले से मतदान पर्चियां भी बरामद नहीं की गई हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मतदाता पर्चियों को प्रदर्शित न करने से अभियोजन पक्ष

का मामला ध्वस्त हो जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एफआईआर, पीडब्लू 1 और मुखबिर और लगातार सभी गवाहों ने कहा है कि राजीव रंजन तिवारी ने आरोपी को मतदाता पर्ची देने से इनकार कर दिया, जिस पर हाथापाई हुई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मतदान पर्चियां प्रदर्शित नहीं की जाती हैं। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि मतदाता पर्ची मांगने का अपुष्ट साक्ष्य साबित नहीं होता है।

3.10 उपर्युक्त प्रस्तुतियों को प्रस्तुत करते हुए कुटुम्बका कृष्ण मोहन राव बनाम लोक अभियोजक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के 1991 अनुपूरक और मामलों में और 2 एससीसी 509 और इंदर सिंह बनाम राजस्थान राज्य, (2015) 2 एससीसी 734 में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए वर्तमान अपीलों को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की गई है।

4. वर्तमान अपीलों का झारखंड राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा विरोध किया गया है।

4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार दोनों, विद्वान विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जो अपीलार्थियों को भा. दं. सं. की धारा 323 और 147 के अधीन अपराधों के लिए दोषी ठहराते हैं।

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष पी डब्लू 8, पी डब्लू 10 और पी डब्लू 5 की जांच करके अभियुक्त के विरुद्ध मामले को साबित करने में सफल रहा है, जो घायल चश्मदीद गवाह हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि घायल चश्मदीद गवाह-पीडब्लू 8, पीडब्लू 10 और पीडब्लू 5 विश्वसनीय और भरोसेमंद हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त तीनों गवाहों की पूरी तरह से जिरह की गई थी और प्रतिपरीक्षा के बाद, अभियुक्त द्वारा अभियोजन के मामले के प्रतिकूल कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष ने भी आपके अन्य गवाहों, पीडब्लू १, पीडब्लू ३ और पीडब्लू ४ की जांच की, जो स्वतंत्रता गवाह हैं, जिन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार विद्वत विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर पूरे साक्ष्य पर चर्चा की है और चोट की रिपोर्टों का विश्लेषण किया है और उसके बाद एक विस्तृत निर्णय द्वारा अपीलार्थियों को धारा ३२३ के तहत स्वेच्छा से चोट

पहुंचाने के अपराध के लिए दोषी ठहराया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सभी अपीलकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के तहत दंगा करने के अपराध के लिए दोषी हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दंगा के अपराध के लिए

i) 5 या अधिक व्यक्तियों का विधिविरुद्ध जमाव, जैसा कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 141 में परिभाषित किया गया है, अर्थात 5 या अधिक व्यक्तियों का एक समूह और इस तरह का जमाव गैरकानूनी था।

ii) अवैध जमाव को बल या हिंसा का उपयोग करना चाहिए। बल को भारतीय दंड संहिता की धारा 349 में परिभाषित किया गया है।

iii) किसी विधिविरुद्ध सभा या उसके किसी सदस्य द्वारा प्रयुक्त बल या हिंसा ऐसी सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में होनी चाहिए जिसमें ऐसी सभा का प्रत्येक सदस्य दंगा करने के अपराध का दोषी हो।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, भारतीय दण्ड संहिता की धारा १४६ के तहत परिभाषित दंगे के सभी घटक स्थापित और साबित हो चुके हैं।

4.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा महादेव शर्मा बनाम बिहार राज्य, (1966) 1 एससीआर 18 = एआईआर 1966 एससी 302, के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है कि विधिविरुद्ध सभा का प्रत्येक सदस्य दंगा करने के अपराध का दोषी है, भले ही उसने स्वयं बल या हिंसा का प्रयोग न किया हो। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा यथा अभिनिर्धारित, 'भारतीय दंड संहिता की धारा 146 के अधीन दंगा करने का अपराध तब किया जाता है जब ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में अवैध जमाव या उसके किसी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का उपयोग किया जाता है'। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए एक बार अवैध जमाव सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में स्थापित हो जाता है, अर्थात् वर्तमान मामला, जैसा कि नीचे की अदालतों द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, सामान्य उद्देश्य मतदाता सूची को छीनना और फर्जी मतदान करना था, अवैध सभा का प्रत्येक सदस्य दंगा करने के अपराध के लिए दोषी है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बल प्रयोग, भले ही यह विधानसभा के किसी भी एक सदस्य द्वारा थोड़ा

सा भी संभव चरित्र का हो, एक बार गैरकानूनी के रूप में स्थापित हो जाने पर दंगा होता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह आवश्यक नहीं है कि बल या हिंसा सभी द्वारा होनी चाहिए लेकिन गैरकानूनी सभा के सभी सदस्यों को देयता प्राप्त होती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कुछ लोग शब्दों द्वारा प्रोत्साहित कर सकते हैं, अन्य लोग संकेतों द्वारा प्रोत्साहित कर सकते हैं, जबकि अन्य वास्तव में चोट पहुंचा सकते हैं और फिर भी अवैध सभा के सभी सदस्य समान रूप से दंगा करने के दोषी होंगे।यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में नीचे के दोनों न्यायालयों ने अपीलकर्ताओं को अपराध में एक सक्रिय भागीदार के रूप में पाया है और उन्हें यात्री या दर्शक नहीं कहा जा सकता है।

4.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 321 के तहत परिभाषित और भा. दं. सं. की धारा 323 के तहत दंडनीय स्वेच्छा से उपहति कारित करने के अपराध का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि पी डब्लू 5 से पी डब्लू 8 और पी डब्लू 12 को लगी चोटें साधारण चोटें हैं जबकि पी डब्लू 10 को गंभीर चोटें आई हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चोटों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थियों को नीचे की अदालतों द्वारा हल्के से छोड़ दिया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि इस प्रकार अभियुक्त लक्ष्मण सिंह, शिव कुमार सिंह और अयोध्या प्रसाद सिंह को चोट लगी थी, जो उनकी उपस्थिति और भागीदारी को संदेह से परे स्थापित करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ३१३ के तहत अपने बयान में, उन्होंने अपनी चोटों की बिल्कुल भी व्याख्या नहीं की है।

4.5 आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि पी डब्लू 5, पी डब्लू 8 और पी डब्लू 10 घायल साक्षी हैं, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा कई विनिश्चयों के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, एक घायल चश्मदीद गवाह के साक्ष्य का ज्यादा साक्ष्य मूल्य है और जब तक बाध्यकारी कारण मौजूद न हों, उनके बयानों को हल्के में खारिज नहीं किया जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि घायल गवाह के साक्ष्य को खारिज करने के लिए बहुत ही ठोस और विश्वसनीय आधार की आवश्यकता है। एमपी राज्य बनाम मानसिंह (2003) 10 एस. सी. सी. 414 (पैरा 9), अब्दुल सईद बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2010), 10 एस. सी. सी. 259, रामविलास बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2016) 16 एस. सी. सी. 316 (पैरा 6), उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नरेश, (2011) 4 एस. सी. सी. 324 (पैरा 27) और कलभाई

हमीरभाई कच्छोत बनाम गुजरात राज्य, (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 347 (पैरा 20 और पैरा 20).21) के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया जाता है।

4.6 आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, बिल्कुल शुरुआत से ही, सभी अभियुक्तों को एफआईआर में नामित किया गया था और उनकी भूमिका और सहभागिता भरोसेमंद, विश्वसनीय और ठोस साक्ष्य के साथ स्थापित की गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान अपीलार्थियों सहित सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने "मतदाता सूची छीनने और फर्जी मतदान करने" के सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए विधिविरुद्ध सभा का गठन किया और वास्तव में इस घटना में भाग लिया और अपराध किए।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार घायल चश्मदीद गवाहों/चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं है।

4.7 आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय ने केवल छह माह के साधारण कारावास का दंडादेश अधिरोपित करने में बहुत उदार दृष्टिकोण अपनाया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार जब अपीलार्थी एक सामान्य उद्देश्य के साथ गैरकानूनी सभा के सदस्य पाए गए और पीडब्लू ५, पीडब्लू १० और पीडब्लू १२ को हुई चोटों को देखते हुए, जिन्हें गोली लगने से भी चोटें आई थीं, तो सभी अपीलार्थी-अभियुक्त को आईपीसी की धारा ३०७, ३२६, ३२४ और १४८ के तहत अपराधों के लिए भी अन्य अभियुक्तों के साथ दोषी ठहराया जाना चाहिए था।

4.8 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि फर्जी मतदान लोकतंत्र की सबसे बुनियादी विशेषता को गंभीर रूप से कमजोर करता है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में हस्तक्षेप करता है जो इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित मामलों में स्थापित किया गया है। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ, (2013) 10 एससीसी 1 इसके दायरे में निर्वाचक के बिना किसी डर या दबाव के अपना वोट डालने के अधिकार को शामिल करने के लिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त निर्णय में अभिनिर्धारित किया गया है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान का एक बुनियादी ढांचा है और आवश्यक रूप से इसकी परिधि के भीतर प्रतिशोध, दबाव या जोर के डर के बिना

अपना वोट डालने के लिए एक निर्वाचक का अधिकार शामिल है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए जब निचली अदालत ने अपीलार्थियों के प्रति उदारता दिखाई है। उन्हें केवल छह महीने के साधारण कारावास के लिए दंडादेश देते हुए, इस न्यायालय के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

4.9 उपरोक्त प्रस्तुतियों को करते हुए और पूर्वोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपीलों को खारिज करने के लिए प्रार्थना की जाती है।

5. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है। हमने अभिलेख पर पूरे साक्ष्य और विद्वान निचली अदालत द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्षों को भी सावधानीपूर्वक स्कैन किया है, जो अभिलेख पर साक्ष्य के मूल्यांकन पर हैं.प्रारंभ में, यह ध्यान देने योग्य है कि इसमें सभी अभियुक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 147 के अधीन अपराधों के लिए सिद्धदोषी ठहराए जाते हैं और दोनों अपराधों के लिए उन्हें छह माह का साधारण कारावास भुगतने का दंडादेश दिया जाता है और दंडादेशों को समवर्ती रूप से चलाने का निदेश दिया जाता है।

यह सच है कि आक्षेपित निर्णय में उच्च न्यायालय ने इसमें अभियुक्त/अपीलकर्ताओं की ओर से मामले पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है और/या उस पर विचार नहीं किया है और प्रत्येक अभियुक्त के साक्ष्य पर चर्चा नहीं की है, जो निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ पहली अपील का निर्णय करते समय किया जाना चाहिए था.हालांकि, इसमें नीचे दिए गए कारणों के लिए और अंततः, हम उच्च न्यायालय के अंतिम निष्कर्ष के साथ सहमत हैं, जो उच्च न्यायालय को मामले को भेजने के बजाय, विद्वत परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि करते हैं, हमने स्वयं अभिलेख पर पूरे साक्ष्य का फिर से मूल्यांकन किया है।

5.1 वर्तमान मामले में, अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए, विद्वत विचारण न्यायालय ने पी डब्लू 1, पी डब्लू 3 और पी डब्लू 4, जो स्वतंत्रता गवाह हैं और पी डब्लू 5, पी डब्लू 8 और पी डब्लू 10, जो घायल गवाह हैं, के अभिसाक्ष्य पर भारी भरोसा किया है। घटना स्थल पर स्वतंत्रता गवाहों और यहां तक कि घायल गवाहों की उपस्थिति स्वाभाविक है। पीडब्लू1, पीडब्लू3 और पीडब्लू4, जो सभी ग्राम के निवासी थे और वे अपना वोट डालने

के लिए वहां आए और घटना को देखा। सभी गवाहों, पीडब्लू 1, पीडब्लू 3 और पीडब्लू 4 ने सभी अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान की है और अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन किया है।पीडब्लू 5, पीडब्लू 8, पीडब्लू 10 और यहां तक कि पीडब्लू 12 घायल चश्मदीद गवाह हैं।पीडब्लू 5, पीडब्लू 10 और पीडब्लू 12 पर चोटों को साबित किया गया है और डॉ जवाहर लाल (पीडब्लू 7) की जांच करके अभियोजन द्वारा साबित किया गया है, जिन्होंने उपरोक्त घायल गवाहों की जांच की थी। सभी गवाहों ने स्पष्ट रूप से और एक ही आवाज में कहा है कि प्रासंगिक समय में जब लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान चल रहा था और उस समय पीडब्लू 8-राजीव रंजन तिवारी मतदाताओं को स्लिप दे रहे थे और उस समय लगभग 10:40 बजे दूसरे ग्राम के सभी आरोपी वहां आए और उनसे पर्ची देना बंद करने और मतदाता सूची सौंपने को कहा और इनकार करने पर आरोपियों ने उस पर मुक्के, थप्पड़ और लाठी से हमला किया और उसे चोटें आईं। इस बीच उनके भाई प्रिया रंजन तिवारी उनके बचाव के लिए आए और उसी समय एक दीनानाथ सिंह ने अपनी देसी पिस्तौल निकाली, उन पर गोली चला दी जिससे के कई जख्मों (गोलियों की) से जख्मी हो गए। एफआईआर दर्ज करने की शुरुआत से ही सभी अभियुक्त व्यक्तियों के नाम दर्ज किए गए थे और सभी अभियुक्त व्यक्तियों का विशेष रूप से नाम सभी गवाहों द्वारा लिया गया था और/या अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन किया गया था। इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि यहां तक कि कुछ आरोपी-लक्ष्मण सिंह, शिव कुमार सिंह और अयोध्या प्रसाद सिंह को भी चोटें आई हैं और वे अपने 313 बयानों में अपनी चोटों को समझाने में विफल रहे हैं। इस प्रकार, घटना के समय और स्थान पर उनकी उपस्थिति स्थापित की गई है और अन्यथा भी साबित हुई है। पुनरावृत्ति की लागत पर, यह देखा गया है कि पी डब्लू ५, पी डब्लू ८ और पी डब्लू १० घायल गवाह हैं। यहां तक कि उनकी पूरी तरह से जिरह करने के बाद भी उन्होंने अभियुक्त की ओर से पूरी तरह जिरह करने के बाद भी अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन किया है।

6. मानसिंह (पूर्वोक्त) के मामले में, इस न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि “घायल गवाहों के साक्ष्य का अधिक साक्ष्य मूल्य है और जब तक बाध्यकारी कारण मौजूद न हों, उनके बयानों को हल्के में खारिज नहीं किया जाना चाहिए।उक्त निर्णय में आगे कहा गया है कि मामूली विसंगतियां अन्यथा स्वीकार्य साक्ष्य की

विश्वसनीयता को नष्ट नहीं करती हैं। यह भी देखा गया है कि प्रत्यक्षदर्शियों के नाम का उल्लेख न करने से अभियोजन पक्ष कमजोर नहीं हो जाता।

6.1 अब्दुल सईद (पूर्वोक्त) के मामले में पश्चात्वर्ती विनिश्चय में इस न्यायालय द्वारा ऐसा ही मत व्यक्त किया गया है। यह हमलावरों की भीड़ में गवाहों द्वारा पहचान करने का मामला था।यह माना गया है कि ऐसे मामलों में जहां हमलावरों की बड़ी संख्या है, गवाहों के लिए प्रत्येक हमलावर की पहचान करना और उसे विशिष्ट भूमिका देना मुश्किल हो सकता है। यह भी देखा गया है कि जब घटना कुछ मिनटों के भीतर समाप्त हो जाती है, तो यह स्वाभाविक है कि घटना का सटीक विवरण प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बारिकी से विवरण सतर्क सटीकपन को प्रकट नहीं किया जा सकता है। यह आगे देखा गया है कि जहां घटना का गवाह स्वयं घटना में घायल हुआ था, वहां ऐसे गवाह की गवाही को आम तौर पर बहुत विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि वह एक ऐसा गवाह है जो अपराध के स्थल पर अपनी उपस्थिति की आंतरिक गारंटी के साथ आता है और किसी को गलत तरीके से फंसाने के लिए अपने वास्तविक हमलावर को छोड़ने की संभावना नहीं है। यह आगे देखा गया है कि इस प्रकार, घायल साक्षी के बयान पर भरोसा किया जाना चाहिए जब तक कि उसमें प्रमुख विरोधाभासों और विसंगतियों के आधार पर उसके साक्ष्य को अस्वीकार करने के लिए मजबूत आधार न हों।

6.2 रामविलास (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा विधि के पूर्वोक्त सिद्धांत को पुनः दोहराया गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि घायल साक्षियों के साक्ष्य को अत्यधिक महत्व दिया जाना चाहिए और उनके साक्ष्य को खारिज करने के लिए बहुत ही ठोस और विश्वासोत्पादक आधारों की आवश्यकता है। यह आगे देखा जाता है कि घायल गवाह होने के कारण, घटना के समय और स्थान पर उनकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है।

7. उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा अधिकथित कानून को हाथ में लिए गए मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, हम पीडब्लू 1, पीडब्लू 3 और पीडब्लू 4 और विशेष रूप से पीडब्लू 5, पीडब्लू 8 और पीडब्लू 10 की विश्वसनीयता और/या विश्वसनीयता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं देखते हैं, जो घायल गवाह हैं। सभी गवाह अपने बयानों में

सुसंगत हैं और उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन किया है। इन परिस्थितियों में, निचली अदालतों ने पी डब्लू १, पी डब्लू ३, पी डब्लू ४, पी डब्लू ५, पी डब्लू ८ और पी डब्लू १०. के बयानों पर भरोसा करते हुए, अभियुक्त को दोषी ठहराने में कोई त्रुटियां नहीं की है।

8. अब जहां तक अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त ने कहा है कि सभी अपीलार्थियों के पास लाठियां थीं और जहां तक पी डब्लू ८ का संबंध है। कोई चोट की रिपोर्ट सामने नहीं आई है और/या अभिलेख पर नहीं लाई गई है और इसलिए उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा ३२३ के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। शुरुआत में, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि पी डब्लू ८ ने अपनी मुख्य परीक्षा/बयान में विशेष रूप से कहा है कि उसके घायल होने के बाद, सरकारी अस्पताल, पठान में उपचार प्रदान किया गया था। उसने अभियुक्त दीनानाथ सिंह को छोड़कर सभी अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से प्रतिपरीक्षा में आगे कहा है कि उसे लाठी और डंडे से 2-3 वार लगे। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें ठीक से याद नहीं है कि उन्होंने कितने वार किए थे। उसके अनुसार, वह पहले पुलिस स्टेशन, पाटन के एसएचओ के साथ पुलिस स्टेशन गया, जहां उसका बयान दर्ज किया गया और उसके बाद एसएचओ ने उसे इलाज के लिए पाटन अस्पताल भेज दिया।इस प्रकार, आरोपी व्यक्तियों द्वारा उस पर लाठियों/लाठियों से हमला किया गया और वह घायल हो गया और उसका सरकारी अस्पताल, पाटन में इलाज किया गया, यह साबित हो चुका है।यह हो सकता है कि कोई गंभीर चोट या दृश्य चोट न हो, अस्पताल ने चोट की रिपोर्ट जारी न की हो। तथापि, भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अधीन अपराध के लिए क्षति रिपोर्ट प्रस्तुत करना भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अधीन अपराध के लिए मामला स्थापित करने के लिए अनिवार्य नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 323 स्वेच्छा से उपहति कारित करने के लिए दंडनीय धारा है। भारतीय दंड संहिता की धारा 319 के अनुसार, जो कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को शारीरिक दर्द, बीमारी या दुर्बलता का कारण बनता है, उसे 'उपहति कारित' कहा जाता है। इसलिए, शारीरिक पीड़ा को भी चोट पहुंचाना कहा जा सकता है। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत आरोपी को दोषी ठहराने के लिए निचली अदालतों द्वारा कोई त्रुटियां नहीं की गई है।

9. अब जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के तहत अभियुक्तों की दोषसिद्धि का संबंध है, घटना के समय सभी अभियुक्त व्यक्तियों की उपस्थिति और उनकी सक्रिय भागीदारी स्थापित की गई है और अभियोजन द्वारा उन पूर्वोक्त गवाहों की परीक्षा करके साबित किया गया है जो स्वतंत्र गवाह और घायल गवाह भी हैं। आरोपी दूसरे ग्राम के रहने वाले हैं। उन्होंने सामान्य उद्देश्य यानी मतदाता सूची छीनने और फर्जी मतदान करने के लिए एक गैरकानूनी सभा का गठन किया। यह साबित हो चुका है कि उन्होंने बल का इस्तेमाल किया और घटना में पीडब्लू 5, पीडब्लू 8, पीडब्लू 10 और पीडब्लू 12 घायल हो गए। सभी अभियुक्त व्यक्तियों-अपीलार्थियों के पास लाठियां थीं।भारतीय दंड संहिता की धारा 147 दंगा करने के लिए दंडनीय धारा है। दंगा करने के अपराध को भारतीय दंड संहिता की धारा 146 में परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार हैः

> "146. दंगा-जब भी किसी गैरकानूनी सभा द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसी सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में बल या हिंसा का उपयोग किया जाता है, तो ऐसी सभा का प्रत्येक सदस्य दंगा करने के अपराध का दोषी होता है।"

भारतीय दंड संहिता की धारा 146 के अनुसार दंगा करने की परिभाषा को निष्पक्ष रूप से पढ़ने पर, दंगा करने के अपराध के लिए,

i) 5 या अधिक व्यक्तियों का विधिविरुद्ध जमाव, जैसा कि निम्नलिखित में परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 141 अर्थात 5 या अधिक व्यक्तियों का एक समूह और इस तरह का जमाव गैरकानूनी था।

ii) अवैध जमाव को बल या हिंसा का उपयोग करना चाहिए।बल को भारतीय दंड संहिता की धारा 349 में परिभाषित किया गया है।

iii) किसी विधिविरुद्ध सभा या उसके किसी सदस्य द्वारा प्रयुक्त बल या हिंसा ऐसी सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में होनी चाहिए जिसमें ऐसी सभा का प्रत्येक सदस्य दंगा करने के अपराध का दोषी हो।

9.1 भारतीय दंड संहिता की धारा 349 के अधीन 'बल' को परिभाषित किया गया है। जैसा कि इसमें ऊपर मत व्यक्त किया गया है, सभी अभियुक्त व्यक्ति विधिविरुद्ध सभा के सदस्य थे और सामान्य आशय मतदाताओं की पर्चियां छीनना और फर्जी मतदान करना था। उन्होंने बल प्रयोग किया और हिंसा भी की, जैसा कि इसमें ऊपर उल्लेख किया गया है। अभियुक्त की ओर से यह मामला है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के अधीन दंगा करने के अपराध के लिए उनकी कोई विशिष्ट भूमिका नहीं है। वर्तमान मामले में, घटना भी कुछ मिनटों के भीतर समाप्त हो गई और इसलिए यह स्वाभाविक है कि घटना का सटीक संस्करण प्रत्येक मिनट के विवरण को प्रकट करता है, यानी, व्यक्तिगत कार्यों की सटीकता को प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा नहीं दिया जा सकता है।वैसे भी, जैसा कि महादेव शर्मा (पूर्वोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है। विधिविरुद्ध सभा का प्रत्येक सदस्य दंगा करने के अपराध का दोषी है, भले ही उसने स्वयं बल या हिंसा का उपयोग न किया हो। पैराग्राफ 7 में, यह निम्नलिखित रूप में देखा और अभिनिर्धारित किया गया हैः

> “7. धारा 146 तब दंगा करने के अपराध को परिभाषित करती है। यह अपराध तब किया जाता है जब ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में अवैध जमाव या उसके किसी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का उपयोग किया जाता है। यहां यह देखा जा सकता है कि गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य दंगा करने के अपराध का दोषी है, भले ही उसने स्वयं बल या हिंसा का उपयोग न किया हो। अतः अवैध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन के लिए जब बल या हिंसा का उपयोग किया जाता है तो यह एक नकारात्मक जिम्मेदारी होती है।"

इस प्रकार, एक बार जब सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में विधिविरुद्ध जमाव स्थापित हो जाता है, अर्थात् वर्तमान मामले में, मतदाता सूची छीनने और फर्जी मतदान करने के लिए, तो विधिविरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य दंगा करने के अपराध का दोषी है। बल का उपयोग, भले ही यह विधानसभा के किसी भी एक सदस्य द्वारा मामूली संभव चरित्र हो, एक बार गैरकानूनी के रूप में स्थापित हो जाने पर दंगा होता है। यह आवश्यक नहीं है कि बल या हिंसा सभी द्वारा होनी चाहिए, लेकिन गैरकानूनी सभा के सभी सदस्यों के लिए दायित्व उत्पन्न होता है। जैसा कि राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा उचित रूप से

प्रस्तुत किया गया है, कुछ लोग शब्दों द्वारा प्रोत्साहित कर सकते हैं, जबकि अन्य लोग संकेतों द्वारा प्रोत्साहित कर सकते हैं, जबकि अन्य वास्तव में चोट पहुंचा सकते हैं और फिर भी अवैध सभा के सभी सदस्य समान रूप से दंगा करने के दोषी होंगे। वर्तमान मामले में, इसमें सभी आरोपी सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में गैरकानूनी सभा के सदस्य पाए गए हैं, यानी मतदाता सूची छीनना और फर्जी मतदान करना और पीडब्लू 5, पीडब्लू 8, पीडब्लू 10 और पीडब्लू 12 को गैरकानूनी सभा के सदस्यों द्वारा चोट पहुंचाना, अपीलकर्ता-आरोपी को दंगा करने के अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के तहत सही दोषी ठहराया गया है।

10. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारा यह दृढ़ मत है कि अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा ३२३ और १४७ के तहत उचित रूप से दोषी ठहराए जाते हैं और केवल उक्त अपराधों के लिए छह महीने के साधारण कारावास का दंड दिया जाता है।

विदाई से पहले, हम देख सकते हैं कि यद्यपि वर्तमान मामले में यह स्थापित किया गया है और साबित किया गया है कि सभी अभियुक्त सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य थे, अर्थात् मतदाता सूची छीनने और फर्जी मतदान करने के लिए और भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए गए हैं, निचली अदालत ने केवल छह महीने के साधारण कारावास का दंड दिया है। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा यह देखा गया है कि मतदान की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक हिस्सा है। यह आगे आगे देखा गया है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदान करने की गोपनीयता आवश्यक है। यह आगे देखा गया है कि लोकसभा या राज्य विधायिका के प्रत्यक्ष चुनावों में गोपनीयता बनाए रखना आवश्यक है और दुनिया भर में उन लोकतांत्रिक देशों में इस पर जोर दिया जाता है जहां प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई मतदाता बिना किसी भय के या अपने वोट का खुलासा होने पर पीड़ित हुए बिना अपना वोट डाले। यह भी कहा गया है कि लोकतंत्र और स्वतंत्र चुनाव संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा हैं। यह भी कहा गया है कि चुनाव एक ऐसा तंत्र है जो अंततः लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। निर्वाचन प्रणाली का सार यह होना चाहिए कि मतदाताओं को अपनी स्वतंत्र पसंद का प्रयोग करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो। इसलिए, बूथ पर कब्जा करने और/या फर्जी मतदान के किसी भी

प्रयास से सख्ती से निपटा जाना चाहिए क्योंकि यह अंततः कानून और लोकतंत्र के शासन को प्रभावित करता है। किसी को भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के अधिकार को कमजोर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालांकि, जैसा कि राज्य ने केवल छह महीने के साधारण कारावास के अधिरोपण के विरुद्ध अपील को प्राथमिकता नहीं दी है, हम मामले को वहीं समाप्त करते हैं।

11. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और इसमें ऊपर बताए गए कारणों से, सभी अपीलें विफल हो जाती हैं और खारिज किए जाने के योग्य हैं और तदनुसार खारिज की जाती हैं। चूंकि, इसमें आरोपी-अपीलकर्ताओं के आत्मसमर्पण से छूट के लिए आवेदन इस न्यायालय द्वारा क्रमशः 15.03.2019 और 08.07.2019 के आदेश द्वारा मंजूर किए गए थे, इसलिए आरोपी-अपीलकर्ताओं को अपनी सजा पूरी करने के लिए तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है।

[डॉ धनंजय वाई चंद्रचूड़], न्यायमूर्ति

[एम. आर. शाह], न्यायमूर्ति

नई दिल्ली

23 जुलाई, 2021

खण्डन (डिस्क्लेमर) :– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।